INDIA
TEN RUPEES

(32)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2013 निगरानी – R 1364-II/13

श्रवणकुमार नामदेव पुत्र श्री रामबोल नामदेव निवासी–ग्राम अमिलिया तहसील रामनगर जिला सतना (म.प्र.) ....आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 6-4-13 को प्रस्तुत
6.4.13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. आचार्य कोटिल्य बाल कल्याण समिति अमरपाटन द्वारा सचिव डॉ. बेनी माधव दाहिया पुत्र श्री रामकृष्ण दाहिया निवासी ग्राम लालपुर, तहसील अमर पाटन जिला सतना (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना (म.प्र.)

...........अनावेदकगण

06.4.13
L.S. Dhakad
Adv.

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय अमरपाटन के प्रकरण क्र. $\frac{87}{37} A12/\frac{10-11}{11-12}$ में पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 एवं आदेश दिनांक 13.02.13 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदक द्वारा भूमि सर्वे क्र. 102 / 12 ङ रकवा 0.255 हैक्टेयर अंश भाग 30.88.5 वर्ग फीट अर्थात् 2655 वर्गफीट स्थित ग्राम उमराही तहसील अमरपाटन जिला सतना में स्थित है। उक्त भूमि को आवेदक द्वारा जरिये विक्रय रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 04.08.06 को विधिवत् किया था। जिसपर रजिस्ट्री दिनांक से आवेदक का निरंतर कब्जा है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1364–दो/2013 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–03–17	आवेदक के अभिभाषक श्री लाखन सिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक क्र0 2 की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक श्री डी0के0 शुक्ला उपस्थित। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 87/अ–12/2010–11 एवं 37/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 एवं 13.02.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि सीमांकन आदेश दिनांक 24.04.12 की जानकारी नहीं थी, और न ही उन्हें सीमांकन प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अनावेदक क्र0 2 के शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। 4/ प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.03.2012 को मौके से हल्का पटवारी उमराही,	

बिहारीराम पटवारी हल्का नादन टोला, बीरदन्त, परसवाही एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गई तथा फील्डबुक तैयार किया गया एवं सीमांकन प्रतिवेदन फील्डबुक प्रदर्श पी–1 पंचनामा, प्रदर्श पी–2 एवं सूचना पत्र, प्रदर्श पी–3 संलग्न कर न्यायालय तहसीलदार, तहसील अमरपाटन को प्रेषित किया गया । तहसीलदार अमरपाटन द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की पुष्टि कर दिनांक 24.04.2012 को अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया। प्रकरण के साथ संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने संलग्न सम्पूर्ण दस्तावेजों का पूर्ण अध्ययन कर ही विधिसंगत आदेश पारित किया है, जो कि उचित है।

5/ अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है और तहसीलदार अमरपाटन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य